



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

29 फाल्गुन, 1946 (श०)

संख्या - 136 राँची, गुरुवार, 20 मार्च, 2025 (ई०)

गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ।

संकल्प

10 मार्च, 2025

संख्या- 11/आ०-21/22-1631--चूँकि झारखण्ड के राज्यपाल को यह विश्वास करने का कारण है कि श्री अजय कुमार, तत्कालीन काराधीक्षक, मंडल कारा धनबाद संप्रति मंडल कारा, सिमडेगा दिनांक-04.05.2022 को 12:00 बजे मंडल कारा, धनबाद में संसीमित कुख्यात अपराधी अमन सिंह द्वारा डॉ समीर से प्रतिबंधित मोबाईल द्वारा मांगी गयी रंगदारी एवं इससे संबंधित दिनांक-05.05.2022 को दैनिक समाचार पत्र "दैनिक जागरण" में प्रकाशित समाचार-मंडल कारा, धनबाद से "अब जेल से दी गयी डॉ० समीर को धमकी, रंगदारी तो देनी ही होगी" मामले में राज्य के छवि धूमिल हुई जो उनके कर्तव्य के प्रति निष्ठा का आभाव को दर्शाता है। जैसा कि कारा निरीक्षणालय के पत्रांक-1135, दिनांक-12.05.2022 एवं पत्रांक-1884, दिनांक-26.07.2024 के माध्यम से उपलब्ध कराये गये अनुशंसा सह आरोप पत्र में प्रतिवेदित है, प्रथम दृष्ट्या प्रमाणित पाया गया है ।

2. अतः श्री कुमार के विरुद्ध आरोप पत्र (memo of charges) में गठित आरोपों की जाँच हेतु झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के तहत विभागीय कार्यवाही संचालित किये जाने का निर्णय लिया गया है।

3. श्री कुमार के विरुद्ध गठित आरोपों की जाँच के लिए श्री इकबाल आलम अंसारी, सेवानिवृत्त भा०प्र०से०, विभागीय जाँच पदाधिकारी, झारखण्ड, नगर प्रशासन भवन, एच.ई.सी., गोलचक्कर, धुर्वा, राँची को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है।

4. तदनुसार एतद् द्वारा श्री अजय कुमार को आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प के प्राप्त होने की तिथि से पन्द्रह दिनों के अंदर जाँच हेतु संचालन पदाधिकारी के समक्ष उपस्थित होकर लिखित बचाव बयान प्रस्तुत करें तथा उसकी प्रतिलिपि इस विभाग को भी उपलब्ध कराएँ।

5. श्री कुमार के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही के संचालन हेतु श्री तुषार रंजन गुप्ता सहायक कारा महानिरीक्षक, कारा निरीक्षणालय, झारखण्ड, राँची को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नामित किया जाता है।

6. विभागीय कार्यवाही के प्रस्ताव में माननीय विभागीय (मुख्य) मंत्री का आदेश प्राप्त है।

आदेश :- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को राजकीय गजट में प्रकाशित कराया जाय एवं इसकी प्रति (आरोप पत्र एवं साक्ष्य कागजात सहित) श्री अजय कुमार, काराधीक्षक एवं श्री इकबाल आलम अंसारी, सेवानिवृत्त भा०प्र०से०, विभागीय जाँच पदाधिकारी, झारखण्ड, नगर प्रशासन भवन, एच.ई.सी., गोलचक्कर, धुर्वा, राँची विभागीय जाँच पदाधिकारी को जानकारी एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु भेज दी जाए।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

ऐनी रिन्कु कुजूर,

सरकार के अवर सचिव।
